"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2010—फाल्गुन 25, शक 1931

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2010/वा.कर(पं.)/पांच (24).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक-24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (48) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (49) जोड़ा जाता है :—

(49) राज्य सरकार पांच एकड़ की सीमा तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषकों के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विनिमय विलेखों के पंजीयन पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान करती है :—

(1) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह कृषि भूमि हो ;

(2) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह भूमि स्वामी की भूमि से लगी हुई हो, अर्थात् चकबन्दी हो ;

(3) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह लगभग समान बाजार मूल्य की हो ;

(4) जिन भूमियों का विनिमय किया जा रहा हो, वे नजूल अथवा नगर वाह्य नजूल कृषि भूमियां नहीं होना चाहिए ;

(5) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह एक ही राजस्व निरीक्षक वृत्त के भीतर स्थित हों ;

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-20/2010/वा.कर(पं.)/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2010/वा.कर(पं.)/पांच (24), दिनांक 16-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 16th March 2010

NOTIFICATION

No. F 10-20/2010/CT/(R)/V (24).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No. 818-635-V-S.R. dated 24-02-1975 published under section 79 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registration Fees", under the sub-heading "exemption and reduction" an item (49) shall be added after item (48), namely :—

(49) State Government hereby remits registration fees chargeable on instruments of exchange, executed by agriculturist having holdings upto a limit of 5 acres, subject to the following conditions :—

(1) The lands being exchanged are agricultural ;

(2) the lands being exchanged are adjacent to the land owners land, i.e. there is Chakbandi;

(3) the lands being exchanged are approximately of equal market value ;

(4) the lands being exchanged should not be Nazul or extra-Nazul agricultural land;

(5) the lands being exchanged are situated within the same Revenue Inspector Circle.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.